

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 3 जून 2019—ज्येष्ठ 13, शक 1941

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2019

क्र. एफ-1-26-2019-अठारह-3.—नगरपालिका परिषद धनपुरी, जिला शहडोल की परिषद का कार्यकाल दिनांक 5 अगस्त 2017 को समाप्त होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 346 के प्रावधानों के अंतर्गत नगरपालिका परिषद धनपुरी में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04 अगस्त 2017 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बुढार को प्रशासक नियुक्त किया गया है.

प्रशासकीय कारणों से, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 328 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन, एतद्द्वारा, नगरपालिका परिषद, धनपुरी, जिला शहडोल में प्रशासक के स्थान पर निम्नानुसार प्रशासनिक समिति नियुक्त करता है:—

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. श्री मुबारक मास्टर, पूर्व अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद धनपुरी, वार्ड क्र. 19, धनपुरी, जिला शहडोल          | अध्यक्ष   |
| 2. श्री संतोष सिंह सेंगर, पूर्व पार्षद, निवासी वार्ड क्र. 9, धनपुरी, जिला शहडोल                          | उपाध्यक्ष |
| 3. श्री हनुमान खण्डेलवाल, अध्यक्ष, राधाकृष्ण मंदिर समिति वार्ड क्र. 1, धनपुरी, जिला शहडोल                | सदस्य     |
| 4. डॉ. कुरियन, पूर्व एल्डरमेन, निवासी वार्ड क्र. 10, धनपुरी, जिला शहडोल                                  | सदस्य     |
| 5. श्री इबरार खान, कार्यवाहक अध्यक्ष, म. प्र. सदभावना प्रकोष्ठ, निवासी वार्ड क्र. 04, धनपुरी, जिला शहडोल | सदस्य     |

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.